टर, अलवर
जज

।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

मोहम्मद खॉ बनाम खन्नू वगै०

वाद संख्या 1/76 दिनांक 28.07.2017

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 रेसजुडिकेटा व आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

—: आदेश दिनांक 17.07.2019 :—

प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 रेसजुडिकेटा व आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी में न्यायालय को निवेदन किया है कि वाद में वर्णित हाल आराजी खसरा नम्बर 933 रकबा 0.33 है० तथा 937 रकबा 0.32 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है० वाके ग्राम महुवाखुर्द तहसील मालाखेडा में स्थित है।

अप्रार्थी/वादी ने वादग्रस्त हाल आराजी खसरा नम्बर 933 रकबा 0.33 है० तथा 937 रकबा 0.32 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है० वाके ग्राम महुवाखुर्द तहसील मालाखेडा को सन् 2011 में मान खां, मानसिंह से खरीद करना बताया है, जबकि उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार मानखां, मानसिंह द्वारा दायर वाद न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2009 को निर्णय कर खारिज किये जा चुके थे तद्पश्चात अप्रार्थी/वादी ने उक्त आराजी को दो वर्ष बाद खरीद करना बताया है। मानखां व मानसिंह न्यायालय के आदेश से पाबन्द है एवं मानखां मानसिंह का वाद बाबत तकासमा वाद संख्या 1/414 न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2009 को खारिज किया जा चुका है।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

पूर्व खातेदार मानखां, मानसिंह ने असल प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय में एक वाद, वाद संख्या 1/414 तारीख रज्जू 14.09.2007 अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवान मानखां, मानसिंह पुत्रान बुद्धसिंह बनाम निज्जर, खन्नू, मोरमल वगै० के विरूद्ध पेश किया था। एवं दूसरा वाद, वाद संख्या 1/138 तारीख रज्जू दिनांक 02.08.2008 असल प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मानखां, मानसिंह पुत्रान बुद्ध सिंह बनाम निज्जर, खन्नू, मोरमल, दीनू वगै० के विरूद्ध पेश किया गया था। असल प्रतिवादीगण निज्जर, मोरमल वगै० द्वारा मानखां मानसिंह के विरूद्ध वाद संख्या 1/135 तारीख रज्जू 12.10.1993 अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था। तीनों ही वादो को न्यायालय ने समेकित कर तीनों वादों की सुनवाई एक साथ कर व अलग अलग विवाद्यक बनाकर व साक्ष्य लेकर उक्त तीनो वादो का निर्णय दिनांक 09.04.2009 को किया गया। जिसमें वाद संख्या 1/138 मानखां बनाम निज्जर वगै० व दूसरा वाद 1/414 बउनवान मानखां, मानसिंह बनाम निज्जर वगै० को खारिज किया गया तथा वाद संख्या 1/135 निज्जर, मोरमल, खन्नू वगै० बनाम मानखां, मानसिह को डिक्री क़िया गया। निर्णय के अन्तिम भाग में आराजी खसरा नम्बर 933 व 937 वाके ग्राम महुवाखुर्द अलवर में वादीगण की खरीदशुदा खातेदारी की आराजी 1/6 भाग उत्तर पूर्व कोने की जिसके पूर्व में सडक सरकारी अलवर राजगढ रोड, पश्चिम को शेष आराजी साबिक खसरा नम्बर 150 (खसरा नम्बर 933 एवं 937) के उत्तर को सडक महुवाकलां ओर दक्षिण को नत्थू का मकान व खेत हमीदा व जूहरू का, पर जबरन कब्जा ना करे कब्जा करने से बाज आवे वादीगण निज्जर, मोरमल, खन्नू, दीनू वगै० के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे। उक्त निर्णय का आधार न्यायालय ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 13.11.1995 बनाकर निर्णय व डिक्री पारित की है।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। एवं आदेश 7 नियम 11 वाद पत्र का नामंजूर किया जाना – के पैरा (घ) में अंकित है कि जहॉ वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

वादी/अप्रार्थी ने तकासमे का वाद न्यायालय में पेश किया है वह खिलाफ कानून एवं कानून के सुस्थापित सिद्वान्तो के खिलाफ पेश किया गया है। वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 रेसजूडिकेटा व आदेश 7 नियम 11 की संज्ञा में आता है। उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही करना व आगे कोई आदेश पारित किया जाना कानूनन व न्यायिक दृष्टि से सम्भव नही है एवं उक्त वाद चलने योग्य नही है। वादी/अप्रार्थी मौहम्द खां का वाद काबिल पेश रफ्त ना होने के कारण धारा 11 रेसजूडिकेटा तथा आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादीगण, धारा 11 रेसजुडिकेटा व अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठीत धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)